तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज मुश्ताक अली बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार लूणी) सू.अ.अ. अपील संख्या 19 / 2019	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.01.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी मुश्ताक अली पुत्र गनी मोहम्मद, पता मेन बाजार–लूणी, तहसील लूणी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 02.11.18 में उसके द्वारा (1) पटवार मण्डल सतलाना के अधीन राजस्व गांवों में राजस्व / शिविर न्याय आपके द्वार 2018 में आयोजित शिविर दिनांक 15.06.18 में गैर मुमकीन रास्तों की मौका रिपोर्ट / आदेशों की मय म्यूटेशन की नियमानुसार प्रमाणित छाया प्रतियां, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार लूणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार लूणी) तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(तहसीलदार लूणी) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार लूणी) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	